कार्यपरिषद् की 44वीं बैठक, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की कार्यपरिषद् की **44वीं** बैठक **दिनांक 28 सितम्बर, 2022 (बुधवार)** को मध्याह्न **11:30 बजे** विश्वविद्यालय मुख्यालय में मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी उक्त बैठक में निम्नांकित सम्मानित सदस्यों/महानुभावों ने प्रतिभाग किया :–

1. **प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री** — **अध्यक्ष**
   कुलपति
2. **मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री लोक पाल सिंह** — **सदस्य**
   पूर्व मा. न्यायमूर्ति
   उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।
3. **प्रो. कमला पन्त** — **सदस्य**
   विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग
   एम.बी. (पी.जी.) कॉलेज
   हल्द्वानी।
4. **डॉ. ओम प्रकाश भट्ट** — **सदस्य**
   पूर्व प्राचार्य (से.नि.)
   श्री रामानुज वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय
   भूपतवाला, हरिद्वार।
5. **श्री पद्माकर मिश्रा** — **सदस्य**
   उप निदेशक
   उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय
   रानीपुर झाल, हरिद्वार।
6. **डॉ. प्रतिभा शुक्ला** — **सदस्य**
   संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
7. **डॉ. शैलेश कुमार तिवारी** — **सदस्य**
   संकायाध्यक्ष–वेद–वेदांग संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
8. **डॉ. कामाख्या कुमार** — **सदस्य**
   उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
9. **डॉ. संजीव शास्त्री** — **सदस्य**
   प्राचार्य,
   श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय
   परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश
10. **श्री लखेन्द्र गौथियाल** — **सदस्य**
    वित्त नियंत्रक
    उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
    हरिद्वार।
11. **श्री गिरीश कुमार अवस्थी** — **सचिव**
    कुलसचिव

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :–

1. **प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला** — **सदस्य**
   आचार्य/विभागाध्यक्ष–भाषा एवं आधुनिक
   ज्ञान–विज्ञान विभाग

2. **डॉ. शिवानी विद्यालंकार** — **सदस्य**
प्राचार्य,
श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल
हरिद्वार।

3. **डॉ. विनय कुमार सेठी** — **सदस्य**
सहायक आचार्य–भाषा एवं आधुनिक
ज्ञान–विज्ञान विभाग
उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद संख्याः–01

रिट याचिका संख्या–111/2017 (एस.बी.) श्रीमती रश्मि मिश्रा W/O श्री सुनील कुमार मिश्रा Versus उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के क्रम में दिनांक 12.09.2022 को सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक सम्पन्न हुयी, उक्त बैठक में डॉ. रश्मि मिश्रा एवं डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य (हिन्दी) के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी एवं निम्नवत् आदेश पारित किये गये :–

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में वर्ष 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर डॉ. उमेश कुमार शुक्ल का सहायक आचार्य, हिन्दी के पद पर चयन किया गया। उक्त पद पर डॉ. रश्मि मिश्रा का चयन न किये जाने के संबंध में उनके द्वारा मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–111/2017 (एस0बी0) योजित की गयी, जिसमें मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2022 में पारित निर्णय में डॉ. रश्मि मिश्रा को उत्तराखण्ड राज्य में लागू महिला क्षैतिज आरक्षण के आधार पर सहायक आचार्य (हिन्दी) के पद पर उसी तिथि से, जिस तिथि को डॉ. उमेश कुमार शुक्ल को नियुक्त किया गया था, नोशनली नियुक्ति प्रदान करते हुए डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य (हिन्दी) हेतु 01 अतिरिक्त पद (Supernumerary Post) सृजित करते हुए उक्त आदेशों का 02 माह के भीतर अनुपालन किये जाने के आदेश दिये गए। अतः मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में निर्णय लिये जाने हेतु वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग के साथ विचार–विमर्श किये जाने हेतु बैठक आहूत की गयी।

2. प्रकरण में वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग की सहमति के क्रम में डॉ. रश्मि मिश्रा को सहायक आचार्य (हिन्दी) के पद पर मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 15 दिवस के भीतर यथाप्रक्रिया विश्वविद्यालय के स्तर से नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गए।

3. मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में डॉ. उमेश कुमार शुक्ल हेतु 01 अतिरिक्त पद (Supernumerary Post) सृजित किये जाने के लिए प्रकरण को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करते हुए वर्तमान में संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व से रिक्त पद के सापेक्ष डॉ. उमेश कुमार शुक्ल को नियुक्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में विचार करने हेतु निर्देश दिये गए।

विनिश्चय :

मा. परिषद् द्वारा दिनांक 12.09.2022 को सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान लिया एवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि रिट याचिका संख्या–111/2017 (एस.बी.) श्रीमती रश्मि मिश्रा W/O श्री सुनील कुमार मिश्रा Versus उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरुद्ध विश्वविद्यालय एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये Special Leave Petition (SLP) मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की जायेगी।

मद संख्याः–02 (i)

उक्त के आलोक में निम्न प्रस्ताव मा. परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

1. डॉ. रश्मि मिश्रा को सहायक आचार्य (हिन्दी) के पद पर मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णयानुसार डॉ. रश्मि मिश्रा को डॉ. उमेश कुमार शुक्ल की नियुक्ति की तिथि से परिकल्पित रूप से (Notionally) नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

विनिश्चय : **मद संख्या–01 में पारित प्रस्ताव में यह निर्णय लिया कि मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरुद्ध Special Leave Petition (SLP) मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की जानी है। इसलिए इस स्तर पर डॉ. रश्मि मिश्रा को परिकल्पित रूप से (Notionally) नियुक्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से अंतिम निर्णय आने तक स्थगित किया जाता है।**

मद संख्याः–02 (ii) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–131/XXIV(6)/2006–6(54)–2010, शिक्षा अनुभाग–6, देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के द्वारा शैक्षिक पद, सहायक आचार्य, शांकर वेदान्त विषय का एक पद सृजित किया गया है। वर्तमान में, विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम प्रभावी नहीं है।

अतः सहायक आचार्य, शांकर वेदान्त के एक पद (अनारक्षित वर्ग) के सापेक्ष डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य (हिन्दी) को निरंतरता में कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य (हिन्दी) उक्त पद के सापेक्ष तब तक कार्य करते रहेगें जब तक भविष्य में सहायक आचार्य (हिन्दी) का कोई पद रिक्त नहीं होता है, पद रिक्त होने पर वह स्वतः समायोजित हो जायेगें एवं पदों की स्थिति पूर्ववत् हो जायेगी।

मद संख्या–02 का (i) एवं मद संख्या–02 का (ii) के प्रस्ताव अनुमोदन की दशा में आदेश एक ही तिथि को जारी किये जाने का प्रस्ताव मा. परिषद् के सम्मुख विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय (SUPREME COURT), नई दिल्ली में Special Leave Petition (SLP No.15166/2022 दायर की गयी। जिसकी सुनवाई दिनांक 23.09.2022 को हुयी, जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया :–

ORDER

Issue notice returnable in two weeks.

Mr. Irshit Saharia, learned Advocate on Record accepts notice on behalf of respondent No.3. Issue notice to Respondent Nos. 1 & 2.

In the meantime, the petitioner shall not be disturbed from the post in which he is discharging his services.

In addition, pursuant to the order passed by the High Court, if any decisions are proposed to be taken by the Government regarding supernumerary post, the same may be considered in the meanwhile, which shall however remain subject to result of this petition.

मा. उच्चतम न्यायालय (SUPREME COURT), नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश मा. परिषद् के संज्ञानार्थ एवं यथोचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. परिषद् ने उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करते हुये निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण का मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, शांकर वेदान्त एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए सहायक आचार्य, शांकर वेदान्त का पद अन्य किसी विभाग में परिवर्तित किया जाना न्याय संगत नहीं है।**

डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य (हिन्दी) ने मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरुद्ध Special Leave Petition (SLP) मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में Special Leave Petition (SLP No.15166/2022 योजित की गयी है। मा. परिषद् के द्वारा उक्त आदेश की प्रति का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को भी पक्षकार बनाया गया है।

मा. परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन से प्राप्त निर्देशों को मा. उच्चतम न्यायालय (SUPREME COURT), नई दिल्ली से अंतिम निर्णय आने तक मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर Writ Petition (S/B) No. 111 of 2017 में पारित आदेश पर कार्यवाही स्थगित रखी जाय।

अन्य मद — **मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से।**

मद संख्या–01 — डॉ. कामाख्या कुमार, मा. कार्यपरिषद् सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में संस्था की और संस्था के विरुद्ध योजित किये गये वादों की उचित पैरवी नहीं हो पा रही है। इसलिए संस्था हित को सर्वोपरि रखते हुये मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में संस्था की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के स्थान पर अन्य किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया जाय।

शासन के पत्र संख्या–SANS-C.C/CC/2/2022-XLII-1-Sanskrit EducationDepartment (Computer No.14155)/18116/2022, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 08 फरवरी, 2022 मा. परिषद् के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. परिषद् द्वारा शासन के पत्र संख्या–SANS-C.C/CC/2/2022-XLII-1-Sanskrit Education Department (Computer No.14155)/18116/2022, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 08 फरवरी, 2022 का संज्ञान लिया।**

विश्वविद्यालय हित को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता के स्थान पर किसी अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करने एवं मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में श्रेष्ठ श्रेणी के अधिवक्ता को नियुक्त करने हेतु सर्वसम्मति से मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–02 — मा. परिषद् के सदस्य डॉ. शैलेश कुमार तिवारी द्वारा विश्वविद्यालय में निम्न शोधपीठों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव रखा गया :–

1. पण्डित दीन दयाल उपाध्याय, शोध पीठ।
2. श्री गुरु गोविन्द सिंह, शोधपीठ।
3. स्वामी दयानन्द सरस्वती, शोधपीठ।

विनिश्चय : **मा. परिषद् में यह भी प्रस्ताव आया कि उपरोक्त के अतिरिक्त महाराजा अग्रसेन के नाम से शोधपीठ की स्थापना की जाये जिनकी समाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिससे शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलेगा।**

मा. परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त महानुभावों का समाज के प्रति योगदान को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय में उक्त चारों शोधपीठों की स्थापना किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक सम्पन्न हुयी।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री)
कुलपति/अध्यक्ष